

**OFFICE OF THE DIVISIONAL DIRECTOR, SOCIAL  
FORESTRY DIVISION, BIJNOR.**

Letter No. 556 /35-1(NGT) Bijnor, 02 August , 2024.

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal,  
Principal Bench, New Delhi,

Subject - Response/Report in compliance of Hon'ble Tribunal's  
Order dated 12-03-2024 passed in Original  
Application No. 272/2024 Deepank Kumar Sharma V/s  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change &  
Ors.

Sir,

That this Hon'ble Tribunal in the aforesaid matter  
vide it's order dated 12.03.2024 passed the following  
main direction's.

".....4. However, in view of the undisputed legal  
position that illegal cutting of the trees raises questions  
relating to environment arising out of implementation  
of the Environment (Protection) Act, 1986 and also the  
facts and circumstances of the present case we  
consider it appropriate to seek response/report, in the  
first instance, from the Divisional Forest Officer, Bijnor,  
Moradabad Circle, Moradabad, U.P. impleaded as  
respondent no. 7 in the case.

5. Divisional Forest Officer, Bijnor, Moradabad Circle,  
Moradabad, U.P. requiring him to file his  
response/report to the allegations made in the  
application within two weeks (from the date of receipt

of copy of this order) by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 15.04.2024....."

In respectful compliance\*\* of the order dated 12.03.2024 response /report is being filed by the Divisional Director, Social Forestry division, Bijnor(Respondent No.7).it is humbly requested that the \*\* compliance report attached herewith be placed before the Hon'ble Tribunal.

With regards.

Enclosure: as above.

Your's faithfully

  
**(Arun Kumar Singh)**  
Divisional director ,  
Social Forestry Division,  
Bijnor,U.P.246701

Letter No. 556 ..1..35..1

Copy to: Ankit Verma, Standing Counsel For State of U.P.

  
**(Arun Kumar Singh)**  
Divisional director ,  
Social Forestry Division,  
Bijnor,U.P.246701

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या – 272/2024 दीपांक कुमार शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-03-2024 के अनुपालन में प्रस्तरवार आख्या-

### अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 272/2024, (आई0ए0 संख्या 120/2024) में श्री दीपांक कुमार शर्मा द्वारा मण्डावर रोड बिजनौर में स्थित दो आम के बाग क्षेत्रफल 1.587 गाटा सं0 2119 से 2128 एवं रकबा क्षेत्रफल 2.3400 हेक्टेयर गाटा संख्या 1083,1084,1089,1090,1093,1094 में स्थित आम के वृक्षों को अवैध पातन एवं एसिड डालकर सूखाने का प्रयास करने का उल्लेख करते हुए याचिका योजित की गयी है। उक्त याचिका का संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-03-2024 में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर को नोटिस निर्गत कर प्रथम दृष्टया उक्त विषयक केस में उत्तर/रिसपोंस प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 31-05-2024 के अनुसार केस से संबंधित नोटिस के ईमेल [dfosfbi-up@nic.in](mailto:dfosfbi-up@nic.in) and [dfomo-up@nic.in](mailto:dfomo-up@nic.in) पर प्रेषित किये गये, जो कि उक्त ईमेल कार्यालय द्वारा लम्बे समय उपयोग न हाने के कारण प्राप्त नहीं हो सके। यहां सादर विनम्रता पूर्वक यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रार्थी दिनांक 26-01-2023 से अब तक प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के कार्य दायित्वों के निर्वाहन हेतु प्राधिकृत है, इस अवधि में प्रार्थी के कार्यालय स्तर पर संचालित व क्रियान्वित ई-मेल [dfobijnor@yahoo.com](mailto:dfobijnor@yahoo.com) के माध्यम से समस्त शासकीय/उच्च स्तरीय/मा0 न्यायालयों से संबंधित पत्राचार/आदेशों, निर्देशों का अनुपालन तत्काल किया जाता रहा है। इसके साथ ही मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत जमानती वारंट किसी भी माध्यम से प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुए। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 272/2024 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा " प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर" को उक्त केस में समय से रेस्पोंस /उत्तर दाखिल न करने हेतु गैर जमानती वारंट निर्गत करते हुए आगामी तिथि 06.08.2024 नियत की गयी है।

उक्त के अनुपालन में सादर अनुरोध करना है कि प्रश्नगत केस में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कोई निर्देश /नोटिस अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुए। पुलिस अधीक्षक बिजनौर से प्राप्त सूचना दिनांक 25-07-2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 272/2024 से सम्बंधित विवरण व तत्सम्बन्धी आदेशों/निर्देशों की प्रतियाँ प्राप्त की गयी, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, मुरादाबाद एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के ई-मेल [dfomo-up@nic.in](mailto:dfomo-up@nic.in) and [dfosfbi-up@nic.in](mailto:dfosfbi-up@nic.in) पर निर्देश /नोटिस प्रेषित किया जाना उल्लेखित है। उक्तवत्

दोनों ई-मेल प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के कार्यालय स्तर पर क्रियान्वित न होने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश/नोटिस अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हो सके। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के स्तर से भी मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कोई आदेश/निर्देश/नोटिस अधोहस्ताक्षरी को परिचालित/हस्तगत न हो पाने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित उक्त ओ0ए0 संख्या 272/2024 में रेस्पॉस/उत्तर दाखिल करने में विलम्ब हुआ, जो कि परिस्थितिजन्य है। प्रार्थी की ऐसी कोई भी मंशा न थी और न ही भविष्य में होगी। इस सबध में प्रार्थी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष गैर जमानती वॉरंट को रिकाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02-08-2024 को ओ0ए0 संख्या 350/2024 प्रस्तुत किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 12-03-2024 के अनुपालन में प्रस्तरवार आख्या/उत्तर निम्न प्रकार निवेदित है -

प्रस्तर संख्या - 1 अभिलेखीय आधार है।

प्रस्तर संख्या - 2 अभिलेखीय आधार है।

प्रस्तर संख्या - 3 यह कि याची का कथन असत्य है, जो स्वीकार नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि निजी भूमि पर स्थित प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्षों के पातन व विनियमन हेतु उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित 2002 उ0प्र0 राज्य में प्रवृत्त है। ऐसे प्रकरणों का निपटारा उक्त अधिनियम के अधीन रहते हुए सक्षम स्तर से किया जाता है। केस उपरोक्त में उल्लिखित गाटा सं0 1083,1084,1089,1090,1093,1094 में स्थित आम के वृक्षों का पातन रोकने का विभाग द्वारा भरसक प्रयास किया गया। उक्त भू-स्वामी के पातन सम्बन्धी आवेदन को निरस्त किया गया। साथ ही प्रश्नगत गाटों में खड़े वृक्षों की निगरानी हेतु सम्बंधित विभागों को संसूचित किया गया व क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिजनौर को निर्देशित करते हुए प्रश्नगत बागों की निगरानी करायी गयी, परन्तु मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त देवेश कुमार शर्मा व अन्य द्वारा अवैध पातन करने के सम्बन्ध में क्रमशः वन अपराध सं0 68/बिजनौर/2023-24 दिनांक 14-02-2024 एवं वन अपराध संख्या 75/बिजनौर/2023-24 दिनांक 26-03-2024 को धारा 4/10 उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर की बिजनौर रेंज में पजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है (संलग्नक-1 एवं 2)। गाटा सं0 2119 से 2128 तक में खड़े वृक्ष सुरक्षित है, जोकि मौके पर मौजूद है (मौके की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 01.08.2024 (संलग्नक-3)।

प्रस्तर संख्या 4-याची का कथन पूर्णतया असत्य है, जो स्वीकार नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि याची द्वारा ओ0ए0 सं0 272/2024 में उल्लिखित गाटा निजी भूमि में स्थित आम के बाग है, जो कि श्रेणी 1 की संक्रमणीय भूमिधरी की निजी भूमि है में स्थित है, जो कि आरक्षित वन/संरक्षित वन/ग्राम वन/डीम्ड फारेस्ट की परिभाष से आच्छादित नहीं है और न ही

वन की श्रेणी में आती है। साक्ष्य स्वरूप राजस्व विभाग से प्राप्त खसरा व खतौनी की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)।

प्रस्तर संख्या- 5- याची का कथन स्वीकार नहीं है, सत्य यह है, कि (Land in Question) एक निजी स्वामित्व की श्रेणी 1 की संकमणीय भूमिधरी की भूमि है, जिस पर आम के बाग स्थित है, ऐसी भूमियों पर स्थित वृक्षों के पातन व विनियमन हेतु उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 यथा संशोधित 2002 प्रवृत्त है। इसके अन्तर्गत समय-समय पर प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरणों का निदान व निपटारा एवं विधिक कार्यवाही सक्षम स्तर से की गयी है।

प्रस्तर संख्या - 6- प्रस्तर संख्या 5 में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

प्रस्तर संख्या - 7- याची का यह कहना बिल्कुल असत्य है, स्वीकार नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि अवैध पातन करने वाले अभियुक्तगणों के विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रतिकर अधिरोपित कर धनराशि रू0 230000 प्रतिकर के रूप में वसूल की गयी है, प्रतिकर वसूली संबन्धी ई-3 की प्रतियां संलग्न है, (संलग्नक-5)।

प्रस्तर संख्या - 8'- प्रस्तर संख्या 3 में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

प्रस्तर संख्या 9- प्रस्तर संख्या 5 में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

प्रस्तर संख्या - 10- याची का यह कहना बिल्कुल असत्य है, स्वीकार नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि श्री राजकुमार शर्मा के शिकायती पत्र दिनांक 25.11.2023 के क्रम में मौके की जाँच करायी गयी तथा उप जिलाधिकारी बिजनौर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी बिजनौर को प्रश्नगत गाटा सं0 1083,1084,1089,1090,1093,1094 आदि में दर्ज वृक्षों के पातन को रोकने हेतु यथोचित कार्यवाही व वृक्षों की निगरानी के निर्देश दिये गये। पातन सम्बन्धी आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। मौके का फायदा उठाकर अवैध पातन करने पर सम्बंधित के विरुद्ध वन अपराध पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही की गयी। प्रभावी कार्यवाही एवं निगरानी के फलस्वरूप गाटा संख्या 2119 से 2128 तक में स्थित वृक्ष सुरक्षित हैं (संलग्नक-6)।

प्रस्तर संख्या - 11- प्रस्तर संख्या 10 में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्त प्रस्तरवार आख्या के आलोक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सादर अनुरोध है, कि ओ0ए0 संख्या 272/2024 में दीपांक कुमार शर्मा द्वारा योजित याचिका को निरस्त करने की कृपा करें।

  
(अरुण कुमार सिंह)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बिजनौर।

केस सं - 68/विजौर/2023-24

232/01/23-24

बुक नं०

64

N. 29° 29' 33" E. 78° 07' 53"

नं०

10

यन आकार पत्र सं० एच-2

वन विभाग ... इलाहाबाद ... परिधि (सर्किल) ... सरादाबाद ... खण्ड (डिवीजन) ... विजौर ...

उ० प्र० का संख्या अधिसूचना - 1976 वन्य अपराध अधिनियम - 1972 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ... दिनांक 11-02-2024 अधिक्षेत्र (रेंज) विजौर ...

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास ① श्री. हासिम पुत्र श्री. फारुख नि. श्री. बाजार मंगल चाना - मण्डावर, जि. अलीगढ़, वि. उत्तर प्रदेश
- 2. साक्षी का नाम श्री. रविचंद्र चौधरी ② देवेश शर्मा पुत्र देव शर्मा नि. श्री. बाजार मंगल चाना - मण्डावर, जि. विजौर (अ.प्र. शा. वि.)
- 3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 11-02-2024 को समय लगभग 8:00 AM मण्डावर क्षेत्र की गिरी कास में 08 बजे आम का अर्बुद पतन हुआ था।
- 4. मूल्य
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन जांच जारी है।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख भदोली, आज दि. 11-02-2024 को प्रातः 8:00 AM पर तुषकर पास के क्षय वृक्षाव पर मण्डावर क्षेत्र में आम के पेड़ों अर्बुद रूप से कटे की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर विश्वास करके मैं उपरोक्त साक्षी के साथ मण्डावर वन स्टैंड से पूर्ण में स्थित आम के वन में पहुंचा तो देखा कि आम के 08 बूटों की जड़ उखड़ी हुई थी थी आम के अर्बुद रूप कटे बूटों का समस्त प्रकाष्ठ भौंडे से जायज था। पास में स्थित क्षेत्र में मिली कण्ट के द्वारा उपरोक्त नार्मल अधिसूचना का नाम बताया गया।

अतः उपरोक्त अर्बुद रूप से काटये गये आम के बूटों का मैं उपरोक्त उल्लिखित धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर H-2 डेस खजरा डिया जाता है।

अतः H-2 डेस अग्रदूत कापवाही हेतु सूचनाएं भेजी हैं।

अवधीय  
 11-02-2024  
 (श्री. अमर वन दरीगा वीर प्रभारी मण्डावर)

प्रति  
 13/2/24

रख कैसे सं० :- १५/विजनोंर/२०२३-२४

जीपीनम्ब- N- 29° 29' 35.05" E- 78° 07' 49.84" नं० 17

बुक नं० 04

वन आकार पत्र सं० एच-२

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) सरादाबाद जिला (डिवीजन) विजनोंर

वन अपराध 4/10 वन प्रचूना (रिपोर्ट) सं० 01/11 दिनांक 26/03/24 अधिकारी (रेंज) विजनोंर

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास ① स्वत स्वामी देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा निवासी- मण्डावर
- 2. तासी का नाम वन परीगा ② शाफिव पुत्र वाजिद नि० भौ० भगंलबाजार मण्डावर थाना-मण्डावर तहसील जिला- विजनोंर
- 3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 26/03/24 को मिजी शर्मा से आम के 38 लकड़ों का अपेक्ष पातन (हराम) होना।
- 4. न्यूना (रिपोर्ट) सं० ०१-११०६/प्रमाण/२४ - १५/३/२४
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के संबन्ध में विशेष कथन सं० ०१/११०६/प्रमाण/२४ - १५/३/२४

6. प्रचूना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय, आज दिनांक 26/03/24 को समय लगभग 07:20 (AM) घातः वने मुखवीर स्वस से मण्डावर वन अड्डे के निकट कण्ठ की निजी धर्म ने आम के 38 लकड़ों के कटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर मैं उपरोक्त अर्द्ध हराम के राज्य कार्य गये स्थल पर पहुँचा तो पहा में ही स्थित नफान पर मिले व्यक्ति को द्वारा बताया गया की अत क्षेत्र में लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व आम के लकड़ों का कटना किया गया था। कण्ठ के द्वारा संभवसाधित/काषि/अम्य उद्देश्य से आम के लकड़ों को कटा गया है। प्रस्ताव करने के उपरान्त घटनास्थल/क्षेत्र में देखा तो आम के 2 से 3 व्यासर्ण के 14 लकड़ा आम व 3 से 4 व्यासर्ण के 21 लकड़ा आम राजे डूब सहित कुल 38 लकड़ों का अपेक्ष पातन (हराम) करना रक्ख

बिना पतन अथवा क्षिपे आम के लकड़ों का अपेक्ष पातन (हराम) करना रक्ख  
 अपेक्ष आश्रिवदन करने पर उपरोक्त नामित आश्रिपती के द्वारा 30, 30 लकड़ा संरक्षण  
 आश्रिनिधम 1978 की धारा 4/10 व 30, 30 इमामी लकड़ी और अन्य वन उपज की  
 आश्रिवदन निपामावली 1978 की धारा 3/20 का अनुसंधान करने पर एच-२ केस  
 न्यूना फिजा जाता है।

शुद्धीय  
 26/03/24  
 सौरभ कुमार  
 वन परीगा  
 और प्रभारी  
 मण्डावर

अधिसूचना

आज दिनांक 01-08-2024 को पुष्पारी निदेशक वन विभाग सत्राजिक वारिकी विभागत के द्वारा विपरीत निदेशों के क्रम में राजस्व तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व सभ सभाकर विपरीत स्वस्य संख्या 3119 रकवड 0.0890 है, साथ संख्या 3120 रकवड 0.152 है 3121 रकवड 0.1140 है, साथ संख्या 3122 रकवड 0.291 है, साथ 3123 रकवड 0.221 है, साथ संख्या 3124 रकवड 0.126 है साथ संख्या 3125 रकवड 0.177 है साथ संख्या 3126 रकवड 0.202 है 0 साथ संख्या 3127 रकवड 0.101 है व साथ संख्या 3128 रकवड 0.114 है कुल 10 खेत कुल रकवड 1.5830 है जो कि श्रीमती 1-क पठ विनेश दुकाठ श्री पुत्र डा. देव शर्मा निवासी मज्जावत हाल निवासी पिछवसका गावियावाद के नाम से किशोर शोभलेख है की ओक पठ लांच की गई जिसके सम्बंध में लांच आख्या निम्न प्रकार है।

उपरोक्त आरती कुल 10 खेत कुल रकवड 1.5830 है ये वलमान में आठ के पुराने पेड़ दोड़ हुआ असरुद के 14 वृक्ष, राजीन के 05 वृक्ष तथा शोशिम का 01 वृक्ष खंड हुए है। ओक के कार्य सम्पन्न है।

उक्त वास के सम्बंधों में कायालय आपुवत दुशरावाद मज्जावत दुशदावाद के पत्र संख्या 319/पी. सं. दिनांक 02.01.2024 के द्वारा लांच के सम्बंध में पत्रक की लीकलि सेतु प्रेषित की गई आख्या की प्रति साक्ष के रूप में सम्पन्न साक्ष है। कायला सावत लेवा में प्रेषित है।

01-08-2024  
मदनपाल सिंह  
प्रधान

01-08-2024  
R.O. Rajwar  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
रंज-बिजनौर

(मदनपाल सिंह)  
मदनपाल सिंह  
वन दरोगा  
सं०प्र० बिजनौर

संलग्न - 3 (A)

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्र संख्या 319/पी0ए0 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को प्रेषित पत्र में प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा निवासी मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर हाल निवासी पिलखुवा जनपद गाजियाबाद के द्वारा राजस्व ग्राम मण्डावर के खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 व 2128 में निजी सम्पत्ति में बाग लगा हुआ है। आम बाग की शाखें अत्याधिक जटिल व बड़ी होकर एक दूसरे वृक्षों से मिल चुकी है जिसके कारण वृक्षों एवं भूमि को सूर्य की उष्ण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण आम के वृक्षों में संक्रमण फैल रहा है एवं अन्य खेती जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि भी नहीं उगा पाने के कारण उनके द्वारा आम के वृक्षों की शाखाओं की छटाई/तरासी कराये जाने की अनुमति मांगने का अनुरोध किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों का इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये जा चुके हैं, जिन पर कार्यवाही आपेक्षित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थलीय एवं राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के राजस्व अभिलेख षट्वार्षिक खतौनी फसली सन 1426-1431 (01 जुलाई 2018 से 30 जून 2024 तक) के भाग संख्या 1 खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 2119 रकबई 0.0890 है0, 2120 रकबई 0.1520 है0, 2121 रकबई 0.1140 है0, 2122 रकबई 0.2910 है0, 2123 रकबई 0.2210 है0, 2124 रकबई 0.1260 है0, 2125 रकबई 0.1770 है0, 2126 रकबई 0.2020 है0, 2127 रकबई 0.1010 है0 व 2128 रकबई 0.1140 है0, कुल 10 खेत कुल रकबई 1.5870 है0 श्रेणी 1-क पर दिनेश कुमार शर्मा पुत्र डा0 देव शर्मा निवासी मण्डावर हाल निवासी पिलखुआ गाजियाबाद के नाम अंकित अभिलेख है। राजस्व अभिलेखों में उक्त आराजी में आम बाग दर्ज है।

उक्त आराजी चकबन्दी या सीलिंग से प्रभावित नहीं है। उक्त आराजी में मौके पर आम के पुराने 68 वृक्ष, अमरूद के 14 वृक्ष, शागौन के 05 वृक्ष तथा शीशम का 01 वृक्ष खड़े हुए हैं। मौके पर वृक्षों का निरीक्षण किया गया। आम के वृक्षों का औसतन व्यास 110 से0मी0 है व सम्भवित आयु लगभग 70-75 वर्ष है। अधिकतर वृक्षों की शाखाएँ चारों तरफ फैली हुई है। वृक्ष रोगग्रस्त भी प्रतीत हो रहे हैं। तथा उन पर फल भी बहुत कम आया है मण्डावर कस्बा वासियों से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि यह बाग बहुत पुराना है और अब इस पर बहुत कम फल आता है। उक्त आराजी विवादित नहीं है। आवेदक का इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है। अतः उक्त वृक्षों की शाखाओं का पातन कराया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। मौके के फोटो संलग्न कर आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

प्रमोद कुमार  
लेखपाल  
तहसील-बिजनौर

18/05/2024

Janich file

Attested by  
[Signature]

[Signature]  
क्षेत्रीय प्रमुख अधिकारी  
रंज-बिजनौर

[Signature]  
महेश सिंह  
वन दरोगा  
से0प्र0

कामलिय क्षेत्रीय वनाधिकारी, विजौर-रेज  
पत्र संख्या 92 / 35-1

दिनांक 01 अगस्त, 24

सेवा में:

धाना जलबन्ध / पुरानी निरीक्षण  
धाना - मण्डवा, विजौर

गेष्य: खसरा सं० 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126,  
2127, 2128, परगना मण्डवा में स्थित वाय में ज्येष्ठ भाग वृक्षों  
के सर्वेक्षण पातन न होने के सम्बन्ध में।

संबोध

शुभ्रित, विषयक जानकारी कराना है कि उपरोक्त खसरा नम्बों  
में डिनेश कुमार & स. देवशर्मा निवासी मण्डवा धल निवासी  
पिलसुवा बंधु के नाम से जंगल स्थित है। उपरोक्त जंगल में  
भाग वृक्षों (68) के अनिश्चित अन्य उचित उपाय में  
वृक्ष ज्येष्ठ हैं।

कारण: जंगल जंगल में कोई भी वृक्ष का सर्वेक्षण  
पातन न होने हेतु आप अपने स्तर से बीट पुरानी को  
निर्देशित करने की उपाय करें।

भवदीय

मदनपाल सिंह  
वन दरोगा

सं०

प्रतिक्रिया: क्षेत्रीय वनाधिकारी विजौर को तुरंत सूचनाएं उचित हैं।

पुनः / सु सु सु

मण्डवा की सेवा में सहाय  
आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित।

Signature  
01-08-2024  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
रेज-विजौर

Signature  
मदनपाल सिंह  
वन दरोगा  
01/08/2024

01-08-2024 को 6:52 PM  
9455403134 पर  
SD Mandawav के  
WhatsApp पर प्रेषित।

Signature  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
रेज-विजौर

R.C  
R.C  
Signature  
01-08-2024  
R.C



खेत की संख्या			क्षेत्रफल हेक्टेयर			सर्वेक्षण क्र. 1 के तहत क्षेत्रफल			सर्वेक्षण क्र. 2 के तहत क्षेत्रफल			तारीख										कुल क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2119	0009	326	दिनेश कुमार शर्मा	X																			
2120	0152	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2121	0114	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2122	0291	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2123	0221	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2124	0126	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2125	0177	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2126	0202	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2127-	0101	326	दिनेश कुमार शर्मा																				
2128	0114	326	दिनेश कुमार शर्मा																				

  
 प्रसाद कुमार  
 सौखपाल  
 तारसील-बिजनौर  
 11/09/2024

  
 प्रसाद कुमार  
 सौखपाल  
 तारसील-बिजनौर 11/09/2024

11/09/2024  
 तारसील-बिजनौर







उद्धरण खतीनी

उद्धरण क्रमांक : 1121692024019

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (ग्रामनाम) : भुइयावत(पणवारत) तहसील : विजनी जमापद : विजनी फारसी चर्च : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 सं 30 नं, 2024) पन्ना : 1 (1) खसत संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / पुरि जो संरक्षणार्थ पुरिधरो केअधिकार में हो

खसत/पान्त संख्या	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			पूरि का विवरण			खातेदार का अंश	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1084	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जालि कोट / आभार नं0 (अद्वितीय धार अंक) अथवा धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पत्ता / बन्धसिद्धि (अवधारक की) का आधार	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नोन का आधार	(4) वर्ग	(5) गाटा (दहीक कोट)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (रि)	(7) दिखे नं	(8) क्षेत्रफल नं (रि)		
	1) क्षेत्र कुल वर्ग/कठ0 क्षेत्र वर्ग/नि0अंक/ खसत नि0 बंहुनिकार/अवधारक								
	कुल गाटे एक कुल क्षेत्रफल - खसत का नाम/पति (रि/केर) कुल पद-प्रकार - धार द्यागत/व कीन पूरि धरने कुल अंश का क्षेत्रफल - खसत का क्षेत्रफल एक से बा. यद (रि/केर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज विवरण आभार		दर्ज किया गया					
(10)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / इतिहास प्रस्तावक नाम / इतिहास प्रस्तावक दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जालि कोट / आभार नं0 (अद्वितीय धार अंक) अथवा धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पत्ता / बन्धसिद्धि (अवधारक की)	(12) गाटे का कुल क्षेत्रफल	(13) क्षेत्रफल (रि)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जालि कोट / आभार नं0 (अद्वितीय धार अंक) अथवा धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पत्ता / बन्धसिद्धि (अवधारक की)	(15) गाटे का कुल क्षेत्रफल / दहीक कोट			



- (17) पूरि के सन्दर्भ में निवादात्मक प्रपत्र धार/धारि की कम्प्यूटरीकृत संख्या :
- (18) प्रपत्र/वादात्मक प्रपत्र की स्थिति
- (18.1) प्रपत्र धार की स्थिति (धरना अथवा क्षेत्र का नाम/कोट/वापक का दिनांक/धरनादि/आदेश संख्या/आदेशवा/पिता-पति-संरक्षक):
- (18.2) प्रपत्र-पुत्र धार की स्थिति (धरना अथवा क्षेत्र का नाम/कोट/वापक-पुत्र का दिनांक/धरनादि/आदेश संख्या/आदेशवा/पिता-पति-संरक्षक):
- (19) अनुसूचक :



उद्धारण खतीनी

उद्धारण क्रमांक : 11216920240194

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परासो) : पाशुवादा(पुषावादा) तहसील : शिवनौर जन्मपद : शिवनौर पताली नं० : 1420-1431 (01) कुतार्क, 2018 नं 30 नं०, 2024) गाँव : 1 (1) उद्धारण संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / पुरी जो संकरापरि पुरियरी केअधिकार है तो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
खाली/पारत संख्या	नाम/श्रीमती-संतोष-प्रबन्ध का नाम / बाली कोर / आचार नं० (अद्विगल धार संके) अथवा धार नं० (6-9 स्थान के संके) / पता / बन्वतिनि (अवतरक है)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का शिर्षक / बंश का आचार	वर्ष	गाँव (पूर्विक कोर)	गाँव का कुल क्षेत्रफल (हे.)	क्षेत्र नं	क्षेत्र नं (हे.)	
1090	1) क्षेत्र कुल धार नं० के धार नं०/अवतरक धार नं० संकुल/अवतरक		1373*0	1090X1121691090000012)	0.22380	D) 1/1	D) 0.22380	7.80
कुल क्षेत्रफल - स्टा स्टाकर दे दे आठ स्टा (दिनेक) कुल स्टाकर - आठ स्टाकर आठ स्टा स्टा		कुल अंश का क्षेत्रफल - स्टा स्टाकर दे दे आठ स्टा (दिनेक)						
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		द्वय किया गया				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
नयाधार का नाम / कम्प्यूटीकृत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का शिर्षक / न्यायालय का आचार / इतिहास प्रस्ताव नाम / इतिहास प्रस्ताव शिर्षक	नाम / श्रीमती-संतोष-प्रबन्ध का नाम / बाली कोर / आचार नं० (अद्विगल धार संके) अथवा धार नं० (6-9 स्थान के संके) / पता / बन्वतिनि (अवतरक है)	गाँव का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / श्रीमती-संतोष-प्रबन्ध का नाम / बाली कोर / आचार नं० (अद्विगल धार संके) अथवा धार नं० (6-9 स्थान के संके) / पता / बन्वतिनि (अवतरक है)	गाँव का क्षेत्रफल / पूर्विक क्षेत्र	क्षेत्रफल (हे.)		
(17) पुरी के सम्बन्ध में शिवनौरादा परासो का/परासो की कम्प्यूटीकृत संख्या :								
(18.1) पुरी का/परासो का/परासो की शिर्षक (अवतरक अथवा अथवा/अवतरक का शिर्षक/अवतरक/आदेश संख्या/आदेश का शिर्षक/आदेश का शिर्षक/आदेश का शिर्षक) :								
(18.2) पुरी का/परासो का/परासो की शिर्षक (अवतरक अथवा अथवा/अवतरक का शिर्षक/अवतरक/आदेश संख्या/आदेश का शिर्षक/आदेश का शिर्षक/आदेश का शिर्षक) :								
(19) अर्थात् :								





**उद्घरण खातीनी**

उद्घरण क्रमांक : 11216920240197

दस्तावेज क्रमांक : 112169      पत्र क्रमांक (पत्रांक) : 00326/2024      मधील दिनांक : 14/01/2024      मधील क्रमांक : 1426-1431 (01) वार्ता, 2018 त 30 नं. 2024)      पान : 1      (1) उद्घरण क्रमांक : 00326

श्रेणी : 1-अ / पूर्वे को वारंवारित खर्चो के अतिरिक्त नै हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्राप्त कर लेने का विवरण		भुक्ति का विवरण		खातेदार का अंश							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	व्यक्ति का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)						
2119	1) धर्म पुस्तक (अथवा) के अतिरिक्त अन्य ID प्रमाणित विवरण		137340	2119(1121692119000012)	0.0890	1) 1/1	1) 0.0890 0.0890	215					
<b>नगरपालिका / परिवहन का विवरण</b> (10) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)		<b>खर्च का विवरण</b> (11) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)		<b>दफ्तरी विवरण</b> (12) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)		<b>दफ्तरी विवरण</b> (13) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)		<b>दफ्तरी विवरण</b> (14) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)		<b>दफ्तरी विवरण</b> (15) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)		<b>दफ्तरी विवरण</b> (16) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID)	

(17) पूर्ण के अलावा है विवरण का अंश (अथवा) की संख्या का अंश :  
 (18) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID) :  
 (19) नगरपालिका का नाम / संस्था का नाम / व्यक्ति का पता / जिला कोड / पिन कोड (6-9) / मोबाइल नंबर / ईमेल / पता / पंजीयन (अथवा ID) :





### उद्घरण खतीनी

उद्घरण क्रमांक : 1121692024019

ग्राम क्रमांक : 112169    ग्राम का नाम (परगना) : पण्डारवा (पण्डारवा)    तहसील : विजानौर    तालुका : विजानौर    फसली वर्ष : 1426-1431 (01 अक्टूबर, 2018 से 30 अक्टूबर, 2024)    पन्ना : 1    (1) खसम संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / पुरि जो संरक्षणीय पुरिधरो केअधिकार में हौ

#### खातेदार का विवरण

#### खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

#### भूमि का विवरण

#### खातेदार का अंश

खसम/पन्ना संख्या	(2) नाम/पिता-मति-संख्या-अंशक का नाम / जग्गि कोड / आकार में0 (अक्षिण धार में) अथवा क्षेत्र में0 (6-9 खसम के अंक) / धारा / बन्दसिधि (अथवाक है0)	(3) ज्वागलव का नाम / कम्प्यूटरीकृत वार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / कोड का आकार	(4) वर्ष	(5) गाटा (प्लॉक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)
2120	1) द्विधर कुमार कर्माकर0 हे.जमी/अंशक वार मि0 सिवराजुव मधिसार		1373-60	2120(1121692120000012)	0.1520	1) 1/1	1) 0.1520
							0.1520

कुल गाटे-एक    कुल क्षेत्रफल-एक आकर एक धर टै एकर (द्विधर)    कुल पन्नावत - वार द्यागलव धर आठ गाटे    कुल अंश वर क्षेत्रफल - एक द्यागलव एक गाटे धर एकर (द्विधर)

#### नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

#### खरिज किया गया

#### दर्ज किया गया

(10) न्यायपालक का नाम / कम्प्यूटरीकृत वार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आकार / द्विधर प्रस्तावक नाम / द्विधर प्रस्तावक दिनांक	(11) नाम / पिता-मति-संख्या-अंशक का नाम / जग्गि कोड / आकार में0 (अक्षिण धार अंक) अथवा क्षेत्र में0 (6-9 खसम के अंक) / धारा / बन्दसिधि (अथवाक है0)	(12) गाटे का आकार	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-मति-संख्या-अंशक का नाम / जग्गि कोड / आकार में0 (अक्षिण धार अंक) अथवा क्षेत्र में0 (6-9 खसम के अंक) / धारा / बन्दसिधि (अथवाक है0)	(15) गाटे का आकार वल्ल / प्लॉक कोड

(17) पुरि के सचिव की सिवापुर्वत परावर बाप/वर्ग की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) जल/सचिव-गुरु धरि की सिधरि

(18.1) जल धरि की सिधरि (संसाधन अथवा क्षेत्र का नाम/कोड/सचिव का दिनांक/वर्ग/आदेश संख्या/कोड/पिता-मति-संख्या) :

(18.2) जल-गुरु धरि की सिधरि (संसाधन अथवा क्षेत्र का नाम/कोड/सचिव-गुरु का दिनांक/वर्ग/आदेश संख्या/कोड/पिता-मति-संख्या) :

(19) अर्थात :







उद्घरण खतीनी

उद्घरण क्रमांक : 112169202401100

ग्राम प्रभांक : 112169    ग्राम का नाम (पञ्जाबी) : ਮੁਹਾਬਰਾ(ਮੁਹਾਬਰ)    तहसील : निजामी    जमाद : निजामी    फारसी वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 फ़रवरी, 2024)    पन्ना : 1    (1) शुद्ध क्रमांक : 00326

खातेदार का विवरण

खता/गाटा संख्या	(2) नाम/सिमा-वही-संख्या-अंशक का नाम / ज़ाहि कोद / आगर नं० (अतिरिक्त धारक) अथवा धर नं० (6-9 खत के अंक) / पत्ता / जम्मातिहि (अथवाकूक धर) का आधार	(3) ज़ायतदार का नाम / कम्प्यूटरीज़ात धार संख्या अथवा अदेश संख्या / अदेश का सिताक / कोद का आधार	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		पृथि का विवरण		खातेदार का अंश	
			(4) वर्ष	(5) गाटा (पृथीक कोद)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (है)	(7) कृषि से क्षेत्रफल (है)	(8) क्षेत्रफल में (है)	
2122	1) क़िस्म कुल खत/नं० धर ज़ा/सिमा-वही धार सि० सिताक/अंशक धरिखत		1373*80	2122(1121692122000012)	0.2910	1) 1/1	1) 0.2910	0.2910

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

(10) ज़ायतदार का नाम / कम्प्यूटरीज़ात धार संख्या अथवा अदेश संख्या / आदेश का सिताक / जमातादात का आधार / सिताक प्रकाशक नाम / सिताक प्रकाशक सिताक	खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
	(11) नाम / सिता-वही-संख्या-अंशक का नाम / ज़ाहि कोद / आगर नं० (अतिरिक्त धार अंक) अथवा धर नं० (6-9 खत के अंक) / पत्ता / जम्मातिहि (अथवाकूक धर)	(12) गाटे का आधार नम्बर	(13) क्षेत्रफल (है)	(14) नाम / सिता-वही-संख्या-अंशक का नाम / ज़ाहि कोद / आगर नं० (अतिरिक्त धार अंक) अथवा धर नं० (6-9 खत के अंक) / पत्ता / जम्मातिहि (अथवाकूक धर)	(15) गाटे का आधार नम्बर / पृथीक कोद
(10)					



- (17) पृथि के संख्या में सितावहीन प्रथम धार/अंशों की कम्प्यूटरीज़ात संख्या :
- (18) ज़ायतदार/अंशक-धार होने की तिथि
- (18.1) ज़ायत होने की तिथि (संख्या अथवा धर का नाम/कोड/अंशक का सिताक/जमातिहि/आदेश संख्या/जमातेधारी/सिमा-वही-संख्याक):
- (18.2) ज़ायत-धार होने की तिथि (संख्या अथवा धर का नाम/कोड/अंशक का सिताक/जमातिहि/आदेश संख्या/जमातेधारी/सिमा-वही-संख्याक):
- (19) अग्रुक्ति :

3





उद्घरण खतीनी

उद्घरण क्रमांक : 112169202401102

पत्र क्रमांक : 112169 पत्र का नाम (पत्रनाम) : पत्रपत्र(पत्रपत्र) गरीबीत : विनाश पत्रपत्र : विनाश फरती वध : 1426-1431 (01 खताफ, 2018 ते 30 वद, 2024) पत्रा : 1 (1) खत वंशत : 00326

शेती : 1-क / पुरि जो संकपणीय पुरिपरी के अतिकार से ही

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंग		
संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संका-प्रकार का नाम / जालि कोर / आगत नं० (अतिरिक्त धार नं०) अथवा धर नं० (6-9 खत के अंक) / पत्रा / जमसिदि (अथवाक हेतु) का आगत	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीजत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का शिर्षक / कोर का आगत	(4) वर्ष	(5) गाटा (दृष्टिक कोर)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) शिखे व	(8) क्षेत्रफल व (हे.)	(9) खातेदार का प्रकार
2124	1) शिखे इतर खत(नं०) के खतसिदिपत्र का नं० सिखेपुत्र अतिरिक्त		1373-80	2124(1121692124000012)	0.1260	1) 1/1	1) 0.1260	4.00
कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- एक एकड़ एक रो बा. यद (दिकेय)	कुल अंग का क्षेत्रफल- एक दामादर एक रो बा. यद (दिकेय)					0.1260	
नामान्दारण / परिवर्तन का विवरण		खरिज किया गया		द्वय किया गया				
(10) नामान्दारण का नाम / कम्प्यूटरीजत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का शिर्षक / नामान्दारण का आगत / शिखेपुत्र प्रस्तावना नाम / शिखेपुत्र प्रस्तावना शिर्षक	(11) नाम / पिता-पति-संका-प्रकार का नाम / जालि कोर / आगत नं० (अतिरिक्त धार नं०) अथवा धर नं० (6-9 खत के अंक) / पत्रा / जमसिदि (अथवाक हेतु)	(12) गाटे का कुल क्षेत्रफल	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संका-प्रकार का नाम / जालि कोर / आगत नं० (अतिरिक्त धार नं०) अथवा धर नं० (6-9 खत के अंक) / पत्रा / जमसिदि (अथवाक हेतु)	(15) गाटे का कुल क्षेत्रफल / दृष्टिक कोर	(16) क्षेत्रफल (हे.)		







### उद्घरण खातीनी

उद्घरण क्रमांक : 112169202401104

ग्राम क्रमांक : 112169

ग्राम का नाम (धरना) : भुशारथ(भुशार)

तहसील : बिजौरी

जमाद : बिजौरी

फारसी वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

पाना : 1

(1) खाता संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / पुरि जो संरक्षणपीय पुरिपयो केअधिकार में हो

#### खातेदार का विवरण

#### खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

#### भूमि का विवरण

#### खातेदार का अंग

खसरा/पाना संख्या	(2) नाम/सिमा-वही-संस्क-प्रबंधक का नाम / जमि कौब / आधार नं० (अद्विप भार अंक) अथवा क्षेत्र नं० (5-9 स्थान के अंक) / पना / जमालिबि (अथवाक ही)	(3) जमादार का नाम / जमादारीका भार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का सिताक / कोर का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (दुकीक कोर)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (६)	(7) किल्ले नं	(8) क्षेत्रफल नं (६)
2126	1) बिबे कुमर शर्मा नं० २० २०२० (अद्विप भार नं० १०) सिताक/प्रारम्भ		1373*0	2126(1121692126000012)	0.2020	1) 1/1	1) 0.2020
							0.2020

#### नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

#### खरिज किया गया

#### दर्ज किया गया

(10) जमादार का नाम / जमादारीका भार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का सिताक / जमादार का आधार / सिताक प्रमाण संख्या / सिताक प्रमाण संख्या	(11) नाम / सिता-वही-संस्क-प्रबंधक का नाम / जमि कौब / आधार नं० (अद्विप भार अंक) अथवा क्षेत्र नं० (5-9 स्थान के अंक) / पना / जमालिबि (अथवाक ही)	(12) गाटे का आधार	(13) क्षेत्रफल (६)	(14) नाम / सिता-वही-संस्क-प्रबंधक का नाम / जमि कौब / आधार नं० (अद्विप भार अंक) अथवा क्षेत्र नं० (5-9 स्थान के अंक) / पना / जमालिबि (अथवाक ही)	(15) गाटे का आधार नम्बर / दुकीक कोर

(17) पुरि के सन्दर्भ में सितादारीन एवात भार/पानों की जमादारीका संख्या :

(18) जमादारीका-गुण संकेत की सितादारी

(18.1) जमादारी की सितादारी (संख्या अथवा क्षेत्रफल/संख्या/संख्या का सितादारी/आदेश संख्या/आदेश/सिमा-वही-संस्क) :

(18.2) जमादारीका-गुण संकेत की सितादारी (संख्या अथवा क्षेत्रफल/संख्या/संख्या का सितादारी/आदेश संख्या/आदेश/सिमा-वही-संस्क) :

(19) अन्वयिक :



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.





उद्घरण खतीनी

उद्घरण क्रमांक : 112169202401105

ग्राम क्रमांक : 112169    ग्राम का नाम (परामा) : पणझार(पणझार)    तहसील : विजगीर    जगपद : विजगीर    फारसी नम्र : 1426-1431 (01 तुलाई, 2018 ते 30 नर, 2024)    पल : 1    (1) उजा संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / पुरि जो संक्रामणीय पुरिपते केअधिकार में ही

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश


खसत/गाटा संख्या	(2) नाम/शिरा-शरि-संरक्षक-अवधक का नाम / शक्ति कोठ / आषार नं0 (अतिथि धार अंक) अथवा धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पना / बन्धसिधि (अवधक हेतु)	(3) जबाबदार का नाम / कम्प्यूटीकृत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का शिनांक / जोर का आषार	(4) वर्ग	(5) गाटा (स्थीक कोर)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे)	(7) शिवां नं	(8) क्षेत्रफल (हे)	(9) कम्प्यूट कर के ए-पद
2127	1) बिरेर कुमार कर्माको 2) शरुनिधिबन्धन धार नं0 शिराखुण्डा धरिबन्धन		1373*60	2127(1121692127000012)	0.1010	1) 1/1	1) 0.1010	3.20

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्वास्तार का नाम / कम्प्यूटीकृत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / शिनांक / नामान्तरण का आषार / इतिहास प्रस्ताव नाम / इतिहास प्रस्ताव शिनांक	(11) नाम / शिरा-शरि-संरक्षक-अवधक का नाम / शक्ति कोठ / आषार नं0 (अतिथि धार अंक) अथवा धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पना / बन्धसिधि (अवधक हेतु)	(12) गाटे का खसत नम्बर / स्थीक कोठ	(13) क्षेत्रफल (हे)	(14) नाम / शिरा-शरि-संरक्षक-अवधक का नाम / शक्ति कोठ / आषार नं0 (अतिथि धार अंक) अथवा धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पना / बन्धसिधि (अवधक हेतु)	(15) गाटे का असा नम्बर / स्थीक नंर	(16) क्षेत्रफल (हे)



- (17) पुरि के संरचना में शिराखुण्डा धार का/धारों की कम्प्यूटीकृत संख्या :
- (18) अथवा/अथवा-गुण धरि की शिवांति
- (18.1) अथवा धरि की शिवांति (संख्या अथवा धरि का नाम/कां/नाम का शिनांक/बन्धसिधि/आदेश संख्या/खातेदार/शिरा-शरि-संरक्षक) :
- (18.2) अथवा-गुण धरि की शिवांति (संख्या अथवा धरि का नाम/कां/नाम का शिनांक/बन्धसिधि/आदेश संख्या/खातेदार/शिरा-शरि-संरक्षक) :
- (19) अनुक्ति :



### उद्घरण खतीनी

उद्घरण क्रमांक : 112169202401106

प्राप्त क्रमांक : 112169

प्राप्त का नाम (परामर्श) : पशुचारा(मण्डावर)

तहसील : बिजनौर

जानपद : बिजनौर

फारसी नं: 1426-1431 (01) खताई, 2018 से 30 नव, 2024)

पाना : 1

(1) खता अंशका : 00326

श्रेणी : 1-क / घूमि जो संक्रमणीय घूमियाओं के अधिकांश में हो

### खातेदार का विवरण

### खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

### घूमि का विवरण

### खातेदार का अंश

खसत/गाटा संख्या	(2) नाम/सिता-पति-संश्लोक-अंशक का नाम / जाली कोड / आभार नं0 (अनियम धार अंक) आभार धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवधारक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीज वाद संख्या आभार आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाली का आभार	(4) वर्ष	(5) गाटा (दस्तावे कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) फ़िसे नं	(8) क्षेत्रफल नं (हे.)	(9) क. म. घ.
2128	1) दिनेश कुमार शर्मा नं0 24 नव/दि0अंशक धर नं0 सितार/पुआ पहिनावर							
				1373क0				
				2128(1121692128000012)				
					0.1140			
						1/1/1		
							0.1140	
								3.66

कुल क्षेत्रफल - खसत क्षेत्रफल एक एक धर खसत (हे.के.म) कुल पट्टाबल - भीत द्यागावत धर - घूमि धर क्षेत्रफल - कुल क्षेत्रफल नव क्षेत्रफल - कुल क्षेत्रफल एक एक धर खसत (हे.के.म)

### नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

### खारिज किया गया

### दुर्घ किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीज वाद संख्या आभार आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / न्यायालय का आभार / सिविलज प्रस्तावक नाम / सिविलज प्रस्तावक दिनांक	(11) नाम / सिता-पति-संश्लोक-अंशक का नाम / जाली कोड / आभार नं0 (अनियम धार अंक) आभार धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवधारक हेतु)	(12) गाटे का खसत नाम	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / सिता-पति-संश्लोक-अंशक का नाम / जाली कोड / आभार नं0 (अनियम धार अंक) आभार धर नं0 (6-9 खसत के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवधारक हेतु)	(15) गाटे का खसत नाम / स्थानिक कोड	(16) क. म. घ.

(17) घूमि के सन्दर्भ में बिजारायतन घातक धार/धारों की कम्प्यूटरीज संख्या :

(18) न्यायालय/न्यायालय नं0 की स्थिति

(18.1) न्यायालय नं0 की स्थिति (संख्या आभार हेतु का नाम/कोड/अंशक का दिनांक/नयापति/आदेश संख्या/खारिज/सिता-पति-संश्लोक) :

(18.2) न्यायालय नं0 की स्थिति (संख्या आभार हेतु का नाम/कोड/अंशक का दिनांक/नयापति/आदेश संख्या/खारिज/सिता-पति-संश्लोक) :

(19) अन्यथा :





3

क्र. 12 / B15 / 03-24

पं. 12 - 5011

पं. 12 / B15 / 03-24

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

क्र संख्या- .....

क्रम संख्या- .....

4330

प्रमाणित किया जाता है कि...

वृत्त में... मुरादाबाद... उत्तर प्रदेश... 196000 = 100 (शब्दों में)...

मुबालिग रूपये (अंकों में) 196000 = 100 (शब्दों में)...

वृत्त में... मुरादाबाद... उत्तर प्रदेश... 196000 = 100 (शब्दों में)...

हेतु प्राप्त किये।

३४/०३/२३५



वनाधिकारी के हस्ताक्षर  
(नाम व पदनाम सहित)

क्र. 12 / B15 / 03-24 (आर.आर.) 1-बानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफिसेट)।

कार्यालय उप-प्रभागीय वनाधिकारी, विजनौर सा0वा0 प्रभाग विजनौर।

पो0 ऑफिस - विजनौर

पिन कोड-246701

Phone No- 01342,262259, E-mail- sdojijnor@gmail.com

पत्रांक 243 / 27-18-3, दिनांक, विजनौर, 13 दिसम्बर, 2023।

सेवा में

श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा

निवासी-मी0 बालार कला मण्डार

तहसील व जिला विजनौर।

विषय-

फलहीन व रोगग्रस्त आम के वृक्षों के काटने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

जिलाधिकारी, विजनौर का पत्रांक- 836-40/पातन/2023-24 दिनांक 12.12.2023।

आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्रांक 34/तीन-12 (2022-23) रा0सहा0-1 दिनांक 09.10.2023, पत्रांक

126/आलि0प्रशा0/2023/दिनांक 13.10.2023 एवं उप निदेशक उद्यान मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्रांक

662-65/विधि/पातन/2023-24 दिनांक 12.10.2023 के क्रम में उपरोक्तानुसार एक समिति का गठन किया गया है। समिति

निम्नलिखित विन्दुओं के आधार पर फलदार वृक्षों से सम्बन्धित आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत प्रदान की जायेगी।

1-भूमि विवादित/सीलिंग से सम्बन्धित ना हो इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसील से प्राप्त कर लिया जाये।

2-भूमि से सम्बन्धित खरारा व खतानी, सम्बन्धित तहसीलदार से सात्यापित करायी जाये।

3-कृषक द्वारा जिस भूमि में पेड़ों के काटने की अनुमति चाही गयी है, माँके पर पाये गये कुल फलदार वृक्षों की वास्तविक संख्या दर्शायी जाये।

4-आवेदक को परमिट जारी करने से पहले, नियमानुसार, 10 गुना फलदार वृक्ष लगवाया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये।

5-आवेदक काटने को रोकने हेतु कड़ाई से यह सुनिश्चित किया जाये, कि आवेदक को जितने फलदार वृक्षों काटने की अनुमति प्रदान की गयी है उसके अतिरिक्त किसी भी पेड़ का कटान ना किया जाये।

6-आवेदक के गाटा संख्या में जिन फलदार वृक्षों का आवेदन किया गया है उनको चिन्हित (मार्क) अवश्य कराया जाये।

7-आवेदक द्वारा वृक्षों को काटे जाने का वास्तविक कारण 10 रु0 के स्टाम्प पर प्राप्त किया जाये।

अतः आप उपरोक्तानुसार गठित समिति के विन्दु सं0-1 से 7 तक के अभिलेख पुनः पातन अनुज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ

इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ज्ञान सिंह)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी  
विजनौर।

प्रतिलिपि : (मूल में) रो 49 नं० 11, अडवाला

13.12.23

सेवा में,

प्रभासीय निदेशालय, झापा जिल्ला वाणिज्यी प्रकाश, 41275-6  
बिजनौर।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी करया मण्डावर के मौहल्ला बाजार कल्लों में पुरतक (स्टेशनरी) विक्रय करने का व्यवसाय करता है। प्रार्थी के प्रतिष्ठान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मण्डावर-चन्दक रोड पर रय0 देव शर्मा मिश्रा के प्रार्थनापत्र वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि स्थित है, जिसमें पुराना बाग हरे-भरे आम, अमरुद, नींबू, करौंदा आदि के फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। कृषि भूमि को बिना आबादी घाँपित कराये उक्त आराजी में आवासीय प्लॉट बनाकर बेचने के उद्देश्य से एक गेट आराजी से पश्चिम की ओर सडक सरकारी से लगा हुआ निर्मित किया गूण है तथा उस पर देव कुंज विहार का बोर्ड भी लगवाया गया। इस कार्य में देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा मिश्रा निवासी मौहल्ला बाजार कल्लों मण्डावर, जनपद बिजनौर वर्तमान निवासी मंजुलिका गार्डन, वाजोरिया रोड, सहारनपुर, जनपद सहारनपुर तथा संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री जय किशन शर्मा, निवासी सरकारी अस्पताल, बालावाली रोड मण्डावर, तहसील व जनपद बिजनौर समान रूप से संलिप्त है। सूट-466 डि-12/12/23

केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार जब तक कोई वृक्ष स्वयं न गिर जाये अथवा सूख न जाये, तब तक उसे काटे जाने की अनुमति अतिरिक्त कारणों के अतिरिक्त नहीं दी जानी चाहिये एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा शासनादेश सं0 24/81-5-2020-07-93 दिनांकित 07-01-2020 फलदार वृक्षों को काटने के लिये जारी किया गया है। उक्त शासनादेश पर्यावरण की सुरक्षा व वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर उक्त वृक्षों के कटान को रोकने के लिये शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं।

वर्ष 2020 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मौसम परिवर्तन संकलन द्वारा जारी निर्देश दिनांकित 01-01-2020 एवं उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 21 एवं 23 के अनुपालन में आम, नीम, साल, महआ, बीजासाल, पीपल, गूलर, पाकड, अर्जुन, पलाश, बेल, चिरौंजी, कैथा, इमली, जामुन, असना, कुसुम, रीठा, सिलवा, तून, सलई, हलदू, वाकली/करघई, धौ, खैर, शीशम एवं सागौन के वृक्षों की प्रजाति की निपाति प्रतिषेध की गयी है।

प्रार्थनापत्र वर्णित खसरा नम्बरान में स्थित बाग का क्षेत्रफल लगभग 24-25 बीघा है जिसमें स्थित हरे-भरे एवं फलदार वृक्षों से पर्यावरण संतुलन में सहायता एवं पर्यावरण की सुरक्षा प्राप्त होती है तथा क्षेत्र की जनता, जिसमें प्रार्थी भी निवास करता है एवं व्यवसाय करता है, भी शामिल है। सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया है, उसमें यह उपबन्ध भी किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को

P-A  
PA  
25/11/2023  
10 बिजनौर की  
कृषि निदेश मिश्रा  
24-1-2020  
कृषि मा अवेयु  
मानन मिश्रा  
न धन पा  
रिपब्लिकन पक्षा  
पावद मा कर  
श्री कृषि चौधरी 25/11/23  
श्री ओम काठ्या  
2023 तक प्रत्येक  
2019